

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./30/07/2055

भोपाल,दिनांक:30/6/07

आदेश

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित कर्मचारियों के स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किए जाते हैं :-

स.क.	नाम, पद एवं पदस्थापना	वर्तमान जिला	वांछित पद स्थापना का जिला
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	श्री दीपक कुमार गांधी, सहा.शि.विज्ञान,शा.क.उ.मा.वि.लहार	भिण्ड	ग्वालियर
2	श्री रूपलाल नायक, सहा.शि.शा.प्रा.वि.उनी संकुल बिरमावल	रतलाम	मंदसौर
3	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, सहा.शि.शा.प्रा.श.चिरचिरा टोला केवलारी	सिवनी	छिन्दबाड़ा
4	श्रीमती वंदना पटले, प्र.अ.प्र.अ.शा.उ.मा.वि.छिंदबाड़ा	छिन्दबाड़ा	जबलपुर
5	श्री विवेक बक्षी, सहा.शि.शा.क.प्रा.वि.उगली	शाजापुर	इन्दौर
6	श्री दयाराम वर्मा,सहा.शि.विज्ञान,शा.उ.मा.वि.रन्नौद	शिवपुरी	गुना
7	श्रीमती उषा राजोरिया,सहा.शि.शा.नगरपालिका प्रा.शा.स्टेशन गंज नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	जबलपुर
8	श्रीमती प्रेमलता रघुवंशी,सहा.शि.शा.बा.प्रा.शा.नईकटनी	कटनी	होशंगाबाद
9	श्री उमेश कुमार केशरवानी, सहा.शि.शा.पूर्व मा.वि.मलेगवाँ हनुमना	रीवा	सीधी
10	श्रीमती चन्द्रकला त्रिपाठी, सहा.शि.शा.क.प्रा.वि.बस स्टेण्ड ब्यावरा	राजगढ़	इन्दौर
11	श्री चक्रधर सिंह,सहा.शि.शा.मा.शा.महरोई करकेली	उमरिया	रीवा
12	श्री निशात खान,प्र.अ.शा.क.मा.वि.करेरा	शिवपुरी	भोपाल
13	श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव,सहा.शि.शा.प्रा.शा.हदाईपुर, बेगमगंज	रायसेन	भोपाल
14	श्रीमती चित्रारानी श्रीवास्तव, सहा.शि.विज्ञान, शा.क.उ.मा.वि. बेगमगंज	रायसेन	भोपाल
15	श्री चन्दनलाल बोपचे,प्र.अ.शा.मा.शा.टिकरी बम्हनी केवलारी	सिवनी	बालाघाट
16	श्री अतुल कुमार सक्सेना,व्या.शि.शा.उ.मा.वि.घमापुर जबलपुर	जबलपुर	इन्दौर
17	श्रीमती गजरा आर्य,सहा.शि.शा.प्रा.वि.रामनगर	दतिया	ग्वालियर
18	श्री रामसहाय अहिरवार,शि.शा.मा.शा.नैगुंवा नौगाँव	छतरपुर	टीकमगढ़
19	श्री रामधार यादव,सहा.शि.बा.प्रा.शा.खेड़ी	खण्डवा	हरदा
20	श्री राजेश कुमार रवि,सहा.शि.शा.पूर्व मा.वि.पटेहरा सोनतीर	सीधी	रीवा

AL

1	2	3	4
21	श्री धर्मदास साकेत, सहा.शि.शा.प्रा.वि.कडेनिया सिंहावल	सीधी	रीवा
22	श्रीमती विमला परते, प्र.अ.शा.प्रा.शा.बनहट खुरई	सागर	पन्ना
23	डॉ.सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव, प्र.अ.शा.मा.वि.चीना	दतिया	ग्वालियर
24	श्रीमती विमला खैरवार,सहा.शि.शा.पूर्व मा.वि.पतई बांका	उमरिया	जबलपुर
25	श्री रतनलाल राठौर, प्र.अ.शा.बा.मा.वि.स्थभंवर	शाजापुर	उज्जैन
26	श्री कमलेश कुमार रघुवशी, प्र.अ.शा.प्रा.वि.सिनावल	दतिया	मुरैना
27	श्री भीमदास परवार,प्र.अ.शा.मा.वि.सिजावट	अशोकनगर	जबलपुर
28	श्रीमती रवेन्द्र परमार, सहा.शि.शा.क.उ.मा.वि.दतिया	दतिया	छतरपुर
29	श्री निशात आलम फारूखी, सहा.शि.शा.नवीन मा.शा. सेहतगंज	रायसेन	भोपाल
30	श्रीमती सुमन द्विवेदी, सहा.शि.शा.मा.शा.मझगवाँ पन्ना	पन्ना	छतरपुर
31	श्री लालमणि वर्मा, सहा.शि.शा.पूर्व मा.वि.लूटी देवसर	सीधी	सतना
32	श्री माताप्रसाद गौतम सहा.शि.शा.प्रा.वि.खिरका सेवड़ा	दतिया	भिण्ड
33	श्रीमती मधुवाला गुप्ता, सहा.शि.शा.क.उ.मा.वि.जीरापुर	राजगढ़	उज्जैन
34	श्रीमती महजबी आरा,सहा.शि.शा.उर्दू प्रा.वि.हरायपुरा	शाजापुर	देवास

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी ।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है । पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये ।


6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कंडिका- 9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश हैं । अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए । कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

यह आदेश नियमानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जा रहा है ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./30/07/2056 भोपाल,दिनांक: 30/6/07
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
2. निज सचिव, मान. राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला - भिण्ड, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर, सिवनी, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, शाजापुर, इन्दौर शिवपुरी, गुना, नरसिंहपुर, कटनी, होशंगाबाद, रीवा, सीधी, राजगढ़, उमरिया, शिवपुरी, भोपाल, रायसेन, बालाघाट, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, खण्डवा, हरदा, सागर, पन्ना, उज्जैन, मुरैना, अशोकनगर, सतना, भिण्ड, राजगढ़ एवं देवास म.प्र. ।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला— भिण्ड, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर, सिवनी, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, शाजापुर, इन्दौर शिवपुरी, गुना, नरसिंहपुर, कटनी, होशंगाबाद, रीवा, सीधी, राजगढ़, उमरिया, शिवपुरी, भोपाल, रायसेन, बालाघाट, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, खण्डवा, हरदा, सागर, पन्ना, उज्जैन, मुरैना, अशोकनगर, सतना, भिण्ड, राजगढ़ एवं देवास म.प्र. ।
7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला— भिण्ड, ग्वालियर, रतलाम, मंदसौर, सिवनी, छिन्दवाड़ा, जबलपुर, शाजापुर, इन्दौर शिवपुरी, गुना, नरसिंहपुर, कटनी, होशंगाबाद, रीवा, सीधी, राजगढ़, उमरिया, शिवपुरी, भोपाल, रायसेन, बालाघाट, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, खण्डवा, हरदा, सागर, पन्ना, उज्जैन, मुरैना, अशोकनगर, सतना, भिण्ड, राजगढ़ एवं देवास म.प्र. ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
9. संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री.....
..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

